

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

: अधिसूचना :

पटना-15 दिनांक 29.5.18

संख्या-9/पद-05-01/2016,(खण्ड-II)सा0प्र0 7026 / श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान आप्त सचिव, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-9/पद-05-01/2016, (खण्ड-II) सा0प्र0 7027 / श्री सलीम अख्तर, प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार, पटना की सेवाएँ प्रधान आप्त सचिव के पद पर पदस्थापन हेतु राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना (वाह्य सेवा में) को अगले आदेश तक सौंपी जाती है।

संख्या-9/पद-05-01/2016, (खण्ड-II) सा0प्र0 7028 / श्री मनोज कुमार सिन्हा, आप्त सचिव, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-9/पद-05-01/2016, (खण्ड-II)सा0प्र0 7029 / श्री विरेन्द्र कुमार, आप्त सचिव, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-9/पद-05-01/2016, (खण्ड-II)सा0प्र0 7030 / श्री गया प्रसाद, आप्त सचिव, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-9/पद-05-01/2016,(खण्ड-II) 7031 / सुश्री नीतु कुमारी, आप्त सचिव, पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को सामान्य प्रशासन विभाग (बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी हेतु ) बिहार, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-9/पद-05-01/2016,(खण्ड-II) 7032 / श्री रविशंकर, आप्त सचिव, आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ को स्थानान्तरित करते हुए बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/पद-05-01/2016, (खण्ड-II) सा0प्र0 7032 / पटना-15 दिनांक 29.5.18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/ मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना /राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना/ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/ सामान्य प्रशासन विभाग ,बिहार, पटना/ बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी,बिहार, पटना/ बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना /सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।